कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी–सुरेश राव (आर.ए.एस.)
प्रार्थना पत्रः–13/2024
जी.सी.एम.एस नं.–2024/240

अमीचन्द पुत्र रामरतन जाति जाट निवासी चक–9 एन.डी ग्राम पंचायत 11/12 एनडी तहसील व जिला अनूपगढ़ (राज.)

–––प्रार्थी

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ़ व जिला अनूपगढ़ (राज.)

––––अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 (भू.अ.) राजस्व अधिनियम

–:: निर्णय ::– **दिनांक–12.11.2024**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर.एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि वाके चक–9 एन.डी (ए) तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नम्बर 14 पत्थर सं.–41/57 के किला नं.–1 ता 25 यानि 6.325 हैक्टर भूमि कमाण्ड एवं पत्थर नं.–61/10, मुरब्बा नं.–33 का किला नं.–1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 7, 8, 9/1, का 1.518 हैक्टर कमाण्ड मय खाला ग्राम 11 एन.डी का पत्थर नं.–42/9, मुरब्बा नं.–34 का किला नं.–1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 7 से 14 का कुल भूमि 3.036 हैक्टर कमाण्ड मय खाला इस प्रकार तीनो मुरब्बाजात में कुल 10.879 हैक्टर कमाण्ड मय खाला कृषि भूमि में प्रार्थी का 1/10 हिस्सा रकबा है। उक्त वर्णित कृषि भूमि की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 की प्रमाणित प्रति सलंग्न है प्रार्थी का सही, वास्तविक व दस्तावेजों मे नाम अमीचन्द पुत्र रामरतन है लेकिन प्रार्थी का घर–परिवार, रिश्तेदारी, आस–पड़ौस, गावं में घरेलू नाम इमीलाल/ईमिलाल के नाम से जाना व पुकारा जाता है। प्रार्थी के दस्तावेजात राशन कार्ड पैन कार्ड, ड्राईविग लाईससे, भामाशाह कार्ड, वोटर कार्ड, जन आधार कार्ड, आदि में सही व वास्तविक नाम अमीचन्द है। जिनकी फोटो प्रतिया सलंग्न है यह वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी को पूर्वजो विरास्तन प्राप्त हुई है। प्रार्थी को घर परिवार, रिश्तदारी, आस पडोस, गांव में प्रार्थी का इमीलाल/ईमिलाल पुकारे जाने के कारण विरास्तन नामास्तरण के समय राजस्व रिकॉर्ड में चक– 9 एन.डी (ए) की उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का घरेलू नाम इमीलाल पुत्र रामरतन एवं चक–11 एन.डी की उक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी का घरेलू नाम ईमीलाल अंकित कर दिया गया है जबकि प्रार्थी सही नाम व वल्दियत अमीचन्द पुत्र रामरतन है उक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड एवं प्रार्थी के दस्तावेजो में प्रार्थी के नाम की भिन्नता होने के कारण प्रार्थी को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा प्रार्थी अपनी कृषि भूमि का समुचित व पूर्ण उपयोग, उपभोग, रहन, बैय, अन्तरण, वसीयत टीनेन्सी अधिकारों का उपयोग, उपभोग आदि नहीं कर [illegible] कृषि भूमि सरकारी या सहकारी, सब्सिडी, खाद, बीज आदि प्राप्त हो रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2024.11.25 13:14:22 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार अनूपगढ़ से जबाब स्टेट प्राप्त किया गया। जबाब स्टेट तहसीलदार (भू.अ.) से प्राप्त रिपोर्ट मुताबिक रिकार्ड जमाबन्दी अनूपगढ़ चक–9 एन.डी (ए) का पत्थर सं.–41/57, व 61/10 का कुल भूमि 7.843 हैक्टर में 1/10 हिस्सा नहरी/बारानी भूमि मुस्तरका खाता में प्रार्थी इमीलाल पुत्र रामरतन जाति जाट के नाम से दर्ज हैं तथा चक–11 एन डी पत्थर नं.–42/9 मुरब्बा नं.–34 का 3.036 हैक्टर में 1/10 हिस्सा ईमीलाल पुत्र रामरतन जाति जाट के नाम इर्ज रिकार्ड है। उक्त दोनो तरह नाम के नाम इमिलाल व ईमिलाल विरास्तन नामान्तरण से रिकार्ड में आये है। उक्त दोनो घरेलू नामो के साथ–साथ प्रार्थी

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

अमीचन्द के नाम से जाना जाता है। अर्थात तीनो नाम इमीलाल, ईमिलाल, अमीचन्द एक ही व्यक्ति के नाम है। प्रार्थी के मुलभूत समस्त दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पास बुक पेन कार्ड आदि प्रार्थी का नाम अमीचन्द पुत्र रामरतन जाति जाट चक–9 एनडी अंकित है। प्रार्थी का नाम इमीलाल उर्फ अमीचन्द या सिर्फ अमीचन्द किया जाना उचित बताया गया है एवं रिपोर्ट के साथ प्रार्थी स्वय का शपथ पत्र, ग्राम पंचायत 11/12 एन.डी (नाहरांवाली) दिनांक–01.07.2024 मे जारी प्रमाण–पत्र दैनिक डायरी आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये।

बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मेरे द्वारा मनन किया गया। तहसीलदार (भू0अ0) अनूपगढ़ द्वारा प्राप्त रिपोर्ट कमाकः–भू.अ./2024/3290 दिनांक–26 सितम्बर 2024, ग्राम पंचायत 11/12 एन.डी (नाहरांवाली) दिनांक–01.07.2024 मे जारी प्रमाण–पत्र के आधार पर प्रार्थी का नाम ईमीलाल/इमीलाल पुत्र रामरतन के स्थान पर इमीलाल उर्फ अमीचन्द पुत्र रामरतन दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतएव प्रार्थना–पत्र बहक प्रार्थी, विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी बहक प्रार्थी विरूद अप्रार्थी स्वीकार किया जाकर सयुक्त खाता की कृषि भूमि वाके चक–9 एन.डी (ए) तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नम्बर 14 पत्थर सं. –41/57 के किला नं.–1 ता 25 का यानि 6.325 हैक्टर भूमि कमाण्ड एवं पत्थर नं.–61/10, मुरब्बा नं. –33 का किला नं.–1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 7, 8, 9/1, का 7.8430 हैक्टर, व चक–11 एन.डी का पत्थर नं.–42/9, मुरब्बा नं.–34 का किला नं.–1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 7 से 14 का कुल भूमि 3.036 हैक्टर कमाण्ड मय खाला इस प्रकार तीनो मुरब्बाजात में कुल 10.879 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में **प्रार्थी का नाम इमीलाल उर्फ अमीचन्द का अंकन किया जावें।** अप्रार्थी तहसीलदार अनूपगढ़ को उक्त आदेश को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने हेतु तहरीर अलग से जारी हो।

निर्णय आज **दिनांक–12.11.2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2024.11.25 13:14:22 IST
Reason: SelfAttested